2024/47

गोपालपुरा
अदम तामील
प्रतिवादी का सही पता जानकारी DR के लिखाना है

PV

जनरल रूल्स सिविल रूल्स [illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया [illegible] (राज.)

(2024/47)

किस्म मुकदमा	नम्बर मुकदमा	तारीख [illegible]	[illegible]	पेशी दिनांक
1	2	3	4	5
177 दावा	33/24	29/1/24		13/2/2024 14/8/24 3/9/24 01/10/24 29/10/24 20/11/24 28/11/24 10/12/24 24/12/24 21/1/25 28/1/25

बनाम

श्री तहसीलदार

निवासी बिजौलिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट

श्री चन्द्रशेखर s/o शिवचरण जाति जाटव

निवासी तलवंडी आनन्दपुरा, फूटा तालाब कोटा

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोन्डेंट

डिक्री दार

श्री पैरोकार सरकार

श्री Ex-Parte

FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

राजस्थान सरकार बनाम चन्द्रशेखर

किस्म मुकदमा 177 नम्बर 33 सन 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/1/2024	वादपत्र पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। वकील वादी उपस्थित। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकल वादपत्र पत्र भेज की जावें। पत्रावली दिनांक 13/2/2024 को वास्ते तलबी/जवाब पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
13/2/24	पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पत्रावली वास्ते तलबी आगामी दिनांक 5/3/24 को पेश हो।	
5/3/2024	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 16/4/24 को वास्ते तलबी पेश हो।। उपखण्ड अधिकारी	
16/4/24	पत्राव[illegible] हुइ। [illegible]भाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान [illegible] दौरे पर हैं। [illegible] दिनांक 15/5/24 को वास्ते तलबी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
15/5/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 5/6/24 को वास्ते तलबी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	रजि. डाक से तामील भेजी गई।
5/6/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P[illegible] दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 26/6/24 को वास्ते तलबी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	

पत्रावली पेश हुइ। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। प्रत्रावली दिनांक 10/7/24 को वास्ते तलबी पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

पत्रावली पेश हुई विपक्षी चन्द्रशेखर को र.डि. डाक से तामील भेजी गई, परन्तु अपर्याप्त पते के कारण तामील नहीं हुई तहसीलदार बिऑलिया पूर्ण पते के साथ तलवाना पेश करें एवं र.डि. डाक से तामील भेजें। पत्रावली वास्ते तलवाना आगामी दिनांक 24/8/24 को पेश हो

14/8/24

पत्रावली पेश हुइ। [illegible] वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान [illegible] दौरे पर [illegible] प्रत्रावली दिनांक 3/9/24 को वास्ते तलवाना पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

पत्राव[illegible] [illegible] वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान [illegible] दौरे पर है। [illegible] दिनांक 1/10/24 को वास्ते तलवाना पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

पत्रावली पेश हुइ [illegible] अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। प्रत्रावली दिनांक 29/10/24 को वास्ते तलवाना पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

पत्राव[illegible] [illegible] वादी/[illegible] उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। प्र[illegible] दिनांक 20/11/24 को वास्ते तलवाना पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

पत्रा[illegible] [illegible] वादी/प्रतिवादी उपस्[illegible] दौरे पर है। प्रत्रावली दिनांक 28/11/24 को वास्ते 3-41 पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियाँ, जिला–भीलवाड़ा

TDR ....बनाम ....चन्द्रशेखर..........

किस्म मुकदमा धारा....33/44 (177)..... प्रकरण संख्या ...33/24

GCMS नम्बरः–....2024/47

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/11/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। प्रत्रावली दिनांक 10/12/24 को वास्ते उ. आ. पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
10/12/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। प्रत्रावली दिनांक 24/12/24 को वास्ते उ. आ. पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
24/12/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 21/1/25 को वास्ते उ. आ. पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
21/1/25	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते उ. आदेश आगामी दिनांक 28/1/25 को पेश हो।	
28/1/25	पत्रावली पेश हुई विपक्षी बाद सूचना अनुपस्थित। विपक्षी के विरुद्ध एक-पक्षीय आदेश पारित किए गए। पत्रावली वास्ते बहस / निर्णय आगामी दिनांक 06/02/25 को पेश हो।	

उप खण्ड अधिकारी

बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

राजस्थान सरकार

...लय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्रीमान् अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस)

...त्र संख्या 33/2024 दायर तारीख 29.01.2024

अनवान्

...राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाडा (राज0)। ....वादी

बनाम्

...न्द्रशेखर पुत्र शिवचरण जाति जाटव निवासी तलवंडी आनन्दपुरा, फूटा तालाब कोटा जिला कोटा ....प्रतिवादी

उपस्थित :– 1. पैरोकार तहसीलदार। ....अधिवक्ता वादीगण
2. एक पक्षीय कार्यवाही – अधिवक्ता प्रतिवादी ।

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक :–06/02/2025

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी तहसीलदार बिजौलियां ने ...वादपत्र अर्न्तगत **धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** 1955 विरूद्ध प्रतिवादी इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया/अनुतोष चाहा कि ग्राम गोपालपुरा पटवार मण्डल गोपालपुरा भू.अ.नि.क्षेत्र ...उमाजी का खेड़ा तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित खाता संख्या 233 में अंकित खसरा नम्बर 467 क्षेत्रफल 0.2590 हैक्टेयर भूमि किस्म बारानी तृतीय एवं खसरा नम्बर 468/1 क्षेत्रफल 0.1052 हैक्टेयर भूमि किस्म बंजड़ कुल खसरे 02 क्षेत्रफल 0.3642 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी के नाम पर राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड हैं। उक्त वर्णित खसरा नम्बर 467 क्षेत्रफल 0.2590 हैक्टेयर भूमि किस्म बारानी तृतीय एवं खसरा नम्बर 468/1 क्षेत्रफल 0.1052 हैक्टेयर भूमि किस्म बंजड़ कुल खसरे 02 क्षेत्रफल 0.3642 हैक्टेयर भूमि पर खनन कार्य का मलबा/रलाव पड़ा हुआ है। खसरे पर पत्थर व मलबा डालकर अन्य प्रयोजनार्थ/अकृषी उपयोग किया जा रहा है। उक्त आराजी पर प्रतिवादी को मात्र कृषि कार्य हेतु खातेदारी अधिकार प्रदत्त था। प्रतिवादी द्वारा भूमि कृषि कार्य हेतु उपयोग नहीं ली जाकर अवैध खनन कार्य किया गया। प्रतिवादीगणें ने खातेदारी अधिकार की शर्तों की पालना नहीं कर अवहेलना करने से भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज करने योग्य है। अतः प्रतिवादी की उक्त आराजीयात को खारीज कर बिलानाम सरकार दर्ज कराना फरमावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस अपूर्ण पते के कारण अदम तामील में प्राप्त हुए। तत्पश्चात् तहसीलदार बिजौलियां को पूर्ण पत्ते के लिए तहरीर जारी की गई, जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी को पुनः रजि डाक से तामील भेजी

लगातार पेज संख्या 02 पर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

गई जिसकी रिपोर्ट शामिल पत्रावली है। किया। विपक्षी बाद सूचना अनुपस्थित रहा । विपक्षी को 03 बार आवाज लगाई गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। विपक्षी की और से कोई अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं हुआ। विपक्षी के विरूद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किए गए। पत्रावली को एक पक्षीय आदेश के बाद साक्ष्यवादी में रखा गया जिसमें दस्तावेजी साक्ष्य/वाद पत्र में तहसीलदार बिजौलियां ने भू.अभि. नि.क्षेत्र उमाजी का खेड़ा द्वारा उक्त खसरे का प्रमाणित मौका पर्चा, जमाबंदी नकल आधार संवत 2075–2078, नक्शा ट्रेस, गुगल मैप इमेज, जी.पी.एस फौटो ग्राफ पेश की जो शामिल पत्रावली है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया एवं पैराकार सरकार की बहस सुनी गई एवं साक्ष्य/दस्तावजों का अध्ययन/मनन किया गया । विपक्षी की और से कोई उपस्थित नहीं हुआ। ना ही कोई अधिवक्ता उपस्थित हुआ पत्रावली में आदेश दिए जाते हैं कि:–

–: आदेश :–

प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार** किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि ग्राम गोपालपुरा पटवार मण्डल गोपालपुरा भू.अ.नि.क्षेत्र उमाजी का खेड़ा तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित खाता संख्या 233 में अंकित खसरा नम्बर 467 क्षेत्रफल 0.2590 हैक्टेयर भूमि किस्म बारानी तृतीय एवं खसरा नम्बर 468/1 क्षेत्रफल 0.1052 हैक्टेयर भूमि किस्म बंजड़ कुल खसरे 02 क्षेत्रफल 0.3642 हैक्टेयर भूमि अवैध खनन/अकृषी कार्य/मलबा/रलाव किये जाने से उक्त खसरा नम्बर 467 क्षेत्रफल 0.2590 हैक्टेयर भूमि भूमि किस्म बारानी तृतीय एवं खसरा नम्बर 468/1 क्षेत्रफल 0.1052 हैक्टेयर भूमि किस्म बंजड़ कुल खसरे 02 क्षेत्रफल 0.3642 हैक्टेयर भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 06/02/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय मोहर

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

राजस्थान सरकार

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी – बिजौलियां जिला–भीलवाड़ा

बइजलास श्री अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस)

दायर तारीख 29.01.2024

वादपत्र संख्या 33/2024

अनवान्

01. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)। ....डिक्रीदार

बनाम्

01.चन्द्रशेखर पुत्र शिवचरण जाति जाटव निवासी तलवंडी आनन्दपुरा, फूटा तालाब कोटा जिला कोटा ....मदयून

उपस्थित :– 1. पैरोकार तहसीलदार। ....अधिवक्ता डिक्रीदार
2. एक पक्षीय कार्यवाही – अधिवक्ता मदयून

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 06/02/2025

डिक्री दिनांक 06/02/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रुबरू न्यायालय आप पक्षकारान पैरोकार सरकार उपस्थित के समक्ष डिक्री दी जाती है कि :–

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ड़िक्री किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम गोपालपुरा पटवार मण्डल गोपालपुरा भू.अ.नि.क्षेत्र उमाजी का खेड़ा तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित खाता संख्या 233 में अंकित खसरा नम्बर 467 क्षेत्रफल 0.2590 हैक्टेयर भूमि किस्म बारानी तृतीय एवं खसरा नम्बर 468/1 क्षेत्रफल 0.1052 हैक्टेयर भूमि किस्म बंजड़ कुल खसरे 02 क्षेत्रफल 0.3642 हैक्टेयर भूमि अवैध खनन/अकृषी कार्य/मलबा/रलाव किये जाने से उक्त खसरा नम्बर 467 क्षेत्रफल 0.2590 हैक्टेयर भूमि भूमि किस्म बारानी तृतीय एवं खसरा नम्बर 468/1 क्षेत्रफल 0.1052 हैक्टेयर भूमि किस्म बंजड़ कुल खसरे 02 क्षेत्रफल 0.3642 हैक्टेयर भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किया जावें। खर्चा पक्षकारान स्वंय अपना अपना वहन करे। डिक्री मूर्तिब की गई।

नीज ....Nil............................मुबलिग .... Nil .... फीस दी सालाना बाबत् .... Nil ......खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....का अदा करे। आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....

बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06 माह 02 वर्ष 2025 को जारी किया गया।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

लगातार पेज संख्या 02 पर

पेज संख्या 02

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया			स्टाम्प अरजीदया		
स्टाम्प वकीलात नामा			स्टाम्प वकीलात नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील ( )			महनताना वकील ( )		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाह		
फीस कमीश्नर			फीस कमीश्नर		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
मुनफरिक			मुनफरिक		
मीजान			मीजान		

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा